	उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 **(उ0 प्र0 सरकार का उपक्रम)** **शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार** **14, अशोक मार्ग, लखनऊ–226001**

संख्या :3771 –मा0सं0–01/वि0उ0नि0लि0/2026–15–मा0सं0–01/2001 दिनांकः 27 अक्टूबर, 2026

मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक,

ई–मेल

ओबरा/अनपरा/हरदुआगंज/पनकी/पारीछा/जवाहरपुर तापीय विद्युत परियोजना,
उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0,
ओबरा (सोनभद्र)/अनपरा (सोनभद्र)/कासिमपुर (अलीगढ़)/पनकी (कानपुर)/पारीछा (झाँसी)/मलावन (एटा)।

विषय– आधार व्यक्तिगत संबंधों का प्रमाण न हाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक राज्य नियोजन संस्थान (नवीन प्रभाग), के पत्र सं0 358/52/7 363/107944/ ज0नि0प्र0/2024 दिनांक 13.10.2026, जो कि आधार को व्यक्तिगत संबंधों के प्रमाण के रूप में स्वीकार न किये जाने तथा आवश्यक दिशा–निर्देश जारी करने के संबंध में है की छायाप्रति सभी संलग्नकों सहित प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त पत्र की अपेक्षानुसार विभिन्न योजनाओं एवं सेवाओं हेतु आधार सत्यापन करने के संबंध में यथावांछित अग्रेतर कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,
27/10/26
(पवन कुमार गुप्ता)
अधिशासी अभियन्ता (मा0सं0–01)

सं0 : (1)मा0सं0–01/वि0उ0नि0लि0/2026–तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन/तकनीकी/परियोजना एवं वाणिज्य), उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के स्टाफ ऑफिसर।
2– निदेशक (वित्त), उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के स्टाफ ऑफिसर।
3– मुख्य अभियन्ता तापीय परिचालन/वाणिज्य/ईंधन/पीपीएमएम/मा0सं0/आर0 एण्ड एम0/पर्यावरण एवं सुरक्षा/टाण्डा वाइन्डिंग सेल/न्यू कोल ब्लाक/ जानपद–नव परियोजनाए उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
4– महाप्रबन्धक(का0 एवं प्रशा0), उ0प्र0राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0(जल विद्युत इकाई), 12वा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।
5– उप महाप्रबन्धक/अधीक्षण अभियन्ता, (मा0सं0–01/02/03/04/05/06)/रिफॉर्म/टाण्डा वाइन्डिंग सेल/प्रशिक्षण, उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6– मुख्य प्रबन्धक(वित्त एवं लेखा), कैश प्रबन्धक इकाई, उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7– मुख्य अभियन्ता "प्रगति इकाई" उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 तृतीय तल, विद्युत सेवा आयोग भवन, एस0एल0डी0सी0 परिसर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010 को इस अनुरोध के साथ कि वह इस आदेश को निगम की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
8– कट फाईल।

(पवन कुमार गुप्ता)
अधिशासी अभियन्ता (मा0सं0–01)

d/hr1

	उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 **(उ0 प्र0 सरकार का उपक्रम)** **शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार** **14, अशोक मार्ग, लखनऊ–226001**

संख्या :3771 –मा0सं0–01/वि0उ0नि0लि0/2026–15–मा0सं0–01/2001 दिनांक:27 अक्टूबर, 2026

मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक,

ई–मेल: ओबरा/अनपरा/हरदुआगंज/पनकी/पारीछा/जवाहरपुर तापीय विद्युत परियोजना,
उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0,
ओबरा (सोनभद्र)/अनपरा (सोनभद्र)/कासिमपुर (अलीगढ़)/पनकी (कानपुर)/पारीछा (झाँसी)/मलावन (एटा)।

विषय– आधार व्यक्तिगत संबंधों का प्रमाण न हाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक राज्य नियोजन संस्थान (नवीन प्रभाग), के पत्र सं0 358/52/7 363/107944/ ज0नि0प्र0/2024 दिनांक 13.10.2026, जो कि आधार को व्यक्तिगत संबंधों के प्रमाण के रूप में स्वीकार न किये जाने तथा आवश्यक दिशा–निर्देश जारी करने के संबंध में है की छायाप्रति सभी संलग्नकों सहित प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त पत्र की अपेक्षानुसार विभिन्न योजनाओं एवं सेवाओं हेतु आधार सत्यापन करने के संबंध में यथावांछित अग्रेतर कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

(पवन कुमार गुप्ता)
अधिशासी अभियन्ता (मा0सं0–01)

सं0 : 3771 (1)मा0सं0–01/वि0उ0नि0लि0/2026–तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन/तकनीकी/परियोजना एवं वाणिज्य), उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के स्टाफ ऑफिसर।
2– निदेशक (वित्त), उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के स्टाफ ऑफिसर।
3– मुख्य अभियन्ता तापीय परिचालन/वाणिज्य/ईंधन/पीपीएमएम/मा0सं0/आर0 एण्ड एम0/पर्यावरण एवं सुरक्षा/टाण्डा वाइन्डिंग सेल/न्यू कोल ब्लाक/ जानपद–नव परियोजनाए उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
4– महाप्रबन्धक(का0 एवं प्रशा0), उ0प्र0राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0(जल विद्युत इकाई), 12वा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।
5– उप महाप्रबन्धक/अधीक्षण अभियन्ता, (मा0सं0–01/02/03/04/05/06)/रिफॉर्म/टाण्डा वाइन्डिंग सेल/प्रशिक्षण, उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6– मुख्य प्रबन्धक(वित्त एवं लेखा), कैशं प्रबन्धक इकाई, उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7– मुख्य अभियन्ता "प्रगति इकाई" उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 तृतीय तल, विद्युत सेवा आयोग भवन, एस0एल0डी0सी0 परिसर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010 को इस अनुरोध के साथ कि वह इस आदेश को निगम की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
8– कट फाईल।

27/10/26

(पवन कुमार गुप्ता)
अधिशासी अभियन्ता (मा0सं0–01)

d/hr1

3712

रजि0सं0 ..... उ0नि0लि0/2026

पत्रावली संख्या 1/2002 15/2001 (TC-1) 8824/CM/26 15/10/26

क्रमांक 926 416

SMPD-MPD01/1/2024-MPDROE1

I/831988/202

MD, PCL/TCL/UNL

14.10.26

(रणवीर प्रसाद)
अध्यक्ष

प्रेषक,

निदेशक स्टेट नोडल ऑफिसर (स्टेट पोर्टल),
जनशक्ति नियोजन प्रभाग,
राज्य नियोजन संस्थान (नवीन प्रभाग), उ0प्र0,
चतुर्थ तल, योजना भवन, लखनऊ।

पत्रांक 4903 दिनांक 17/10/2026

Diary No. 2562 EE(HR-01)/UNL/20.....
Dated 17/10/26.....

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

Div(P&A), UNL

पत्रांक: 358 /52/7 363/107944/ **जउनि0प्र0/2024** **दिनांक:** 13 **अक्टूबर, 2026**

विषय: आधार व्यक्तिगत संबंधों का प्रमाण न होने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

16/10/26
(Mayur Maheshwari)
Managing Director,
TCL/UNL

CE (Adm)
(रजनीश रस्तोगी)
निदेशक (का0प्रबं0 एवं प्रशा0)
उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0
16/10/26

No.619-VIP/MD/UPRVUNL
Date 16-10-26

उपर्युक्त विषयक यू0आई0डी0ए0आई0, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के पत्रांक RO-LKO-16013/04/2020-RO-LKO Vol-II/4313, दिनांक 11.09.2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि यू0आई0डी0ए0आई0, प्रधान कार्यालय, नई दिल्ली के पत्रांक F. No. HQ-16024/4/2020-EU-I-HQ-Part (2), अप्रैल, 2025 के माध्यम से जारी निर्देशानुसार मात्र परिवार के मुखिया (HoF) आधारित नामांकन एवं अपडेशन की स्थिति में ही आधार के पते में "C/o [HoF's name]" स्वतः अंकित हो जाने की व्यवस्था है। साथ ही आधार में "C/o [HoF's name]" के अंतर्गत अंकित व्यक्ति का नाम उसके साथ किसी पारिवारिक अथवा अन्य व्यक्तिगत संबंध का प्रमाण नहीं होता है।

EE(HR-01)
16/10/2026
(सुश्री अमिता सक्सेना)
(मा0सं0) उ0नि0लि0

उपरोक्त के सम्बन्ध में यू0आई0डी0ए0आई0 द्वारा भूमि पंजीकरण एवं अन्य संबंधित शासकीय प्रक्रियाओं में आधार को व्यक्तिगत संबंधों के प्रमाण के रूप में स्वीकार न किये जाने तथा आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने हेतु अनुरोध किया गया है। इस संबंध में नियोजन विभाग के पत्रांक 55/7/7-331/11481/जननि0प्र0/2024, दिनांक 05.05.2026 के माध्यम से पूर्व में भी अवगत कराया जा चुका है।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि कृपया उपर्युक्त के संबंध में यू0आई0डी0ए0आई0 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार यथावश्यक कार्यवाही करने हेतु सम्बंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

No. 2672 Dir. (P. M&A)/UNL
In Date. 16/10/26.....
Out Date. 16/10/26.....

भवदीय,
Digitally signed by MANOJ KUMAR
Date: 13-10-2026 16:38:40
(डॉ0 मनोज कुमार)
निदेशक

पत्रांक व दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव महोदय के अवगतार्थ।
2. उपमहानिदेशक, यू0आई0डी0ए0आई0, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ।
3. अभ्यावेदन कर्ता श्री चन्द्र भाल शुक्ल, 1/652 विकास नगर, लखनऊ-226022

SO(HR-01)
Pawan
17/10/26

RM/DE
Pawan
17/10/26

श्री सलाम जी
ए0 फ्रन्ट डेस्क
24/10

भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण क्षेत्रीय
कार्यालय, लखनऊ

Government of India
Ministry of Electronics &IT
Unique Identification Authority of India(UIDAI)
Regional Office Lucknow

पत्रांक : RO-LKO-16013/04/2020-RO-LKO/Vol-II/4313 दिनांक 11.09.2026

सेवा में,

1. निदेशक,नियोजन विभाग,उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ
2. निदेशक-(Agristac),कृषि निदेशालय, कृषि भवन, मदन मोहन मालवीय मार्ग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226001

विषय : आधार कार्ड व्यक्तिगत संबंधों का प्रमाण न होने के संबंध में।

****

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपको अवगत कराना है कि इस कार्यालय को जनसामान्य से ऐसे पत्र/अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं, जिनमें अवगत कराया गया है कि किसान रजिस्ट्री में संबंधित व्यक्ति के पिता का नाम अंकित है, जबकि आधार कार्ड में पिता का नाम उल्लिखित नहीं है जिसके परिणामस्वरूप, भूमि पंजीकरण एवं अन्य संबंधित प्रक्रियाओं में अनावश्यक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही हैं।

2. इस संबंध में निवेदन है कि पूर्व में आधार कार्ड में पिता/पति/अभिभावक आदि का विवरण पते (डेमग्रैफिक विवरण) के रूप में अंकित किया जाता था। तथापि, चूँकि आधार संबंध का प्रमाण-पत्र नहीं है, अतः यूआईडीएआई ,प्रधान कार्यालय, नई दिल्ली के पत्रांक F. no. HQ-16024/4/2020-EU-I-HQ-Part (2) अप्रैल, 2025 के माध्यम से मात्र HoF-based enrolment and update, "C/o [HoF's name]" के आधार पर ही पिता का नाम आधार कार्ड में सम्मिलित किए जाने की व्यवस्था है जबकि अभ्यावेदन कर्ताओं द्वारा अपने अभ्यावेदन में पिता के जीवित न होने के संबंध में उल्लेख किया गया है।

3. उपर्युक्त के आलोक में निवेदन है कि कृपया इस विषय में आवश्यक दिशा-निर्देश संबंधित अधिकारियों/कार्यालयों को प्रसारित कराने का कष्ट करें, जिससे वह यथोचित कार्यवाही कर सकें आवश्यक कार्यवाही की जा सकें। आपके सुलभ संदर्भ हेतु इस कार्यालय में प्राप्त अभ्यावेदन, द्वारा श्री चंद्र भाल शुक्ला, की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है।

यह सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरांत निर्गत है।

भवदीय,

11.09.2026

(आदित्य प्रकाश बाजपेयी)
उपनिदेशक

संलग्नक : यथोक्त

JD
Mei
15/09/2026
ROCA-TY
11/9/26

F. no. HQ-16024/4/2020-EU-I-HQ-Part (2)
Unique Identification Authority of India (UIDAI)
(Enrolment & Update-I)
******

7th floor, UIDAI HeadOffice
Behind Kali Mandir, Bangla Sahib Road
Gole Market, New Delhi-110 001
Dated: April 2025

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Removal of "C/o" (care of) field from the enrolment and update clients – reg

In the enrolment and update clients, there exists a non-mandatory field, "C/o", in which an individual seeking Aadhaar enrolment or update may enter any person's name. The name so entered is finally reflected in the "address" field of Aadhaar as "*C/o [person's name]*", followed by the given address. The person whose name is entered in the "C/o" field may be a parent, spouse, guardian or any other person as mentioned by the applicant. However, UIDAI neither seeks proof of such relationship, nor verifies it by any other means.

2. Cases have been reported wherein Aadhaar number holders, based on the "*C/o [person's name]*" mentioned as part of the address, have presented Aadhaar to accepting entities, as a proof of relationship and have carried out fraudulent Aadhaar usage.

3. In view of the above, the following amendments are required to be carried out:

   a. The "*C/o*" field shall be removed from all enrolment and update clients thereby ensuring that no such manual entry is possible by the operator.

   b. Only in HoF-based enrolment and update, "*C/o [HoF's name]*" shall automatically be appended to the address field.

4. Tech Centre is requested to carry out necessary changes to all the enrolment and update clients including myAadhaar Portal, mAadhaar app, by 1.6.2025.

5. This issues with the approval of competent authority.

(Himanshu)
Deputy Director
Tel: 011-23478444
Email: dd.eu1-hq@uidai.net.in

To:

1. Tech Development/Operations Divisions, UIDAI Tech Centre, Bengaluru.
2. E&U-II Division, UIDAI HO – QC may be directed to reject any non-HoF-based enrolment and update packets in which "*C/o [name]*" is mentioned as part of address. Any other relationship specifying prefixes such as "S/o", "D/o", "W/o", "H/o" etc must also be similarly rejected.

श्री मान निदेशक (यू.आई.डी.ए.आई.)
(UIDAI RO) लखनऊ

महोदय

निवेदन है कि प्रार्थी की आत्मजा कु. चन्द्र माल शुक्ल पुत्री श्री कृष्ण कुमार की स्वयं की वैध वैध शुक्ल लिखा हुआ है जब मैं फार्म अपडेट/ डी० का रजिस्ट्रेशन) कराता हूँ आत्मजा स्वतंत्री में मैत्र न करते हुए (misspell) दर्शाता है अतः फार्म अपडेट की. जिस मिश्रा मैत्र में ये ही बात रही है। स्वतंत्री में चन्द्रमाल पुत्र कृष्णकुमार लिखा है।

अतः श्री मान जी से निवेदन है कि मेरे आत्मजा में पिता GR का नाम (जो. सेक्शन में वैध. वाले शुक्ल लिखा हुआ वहाँ पर कृष्ण कुमार शुक्ल कर दिया जाये, यही प्रार्थना करते। तारीख (Former ID) रजिस्ट्रेशन

दिनांक -27.8.2024 प्रार्थनापत्र

आत्मजा की जानकारी
संलग्न कर रहा हूँ
आत्मजा के 7496 5803 1695

भवदीय
चन्द्र माल शुक्ल
1/652 विकास नगर
लखनऊ

प्रेषक,

निदेशक
जनशक्ति नियोजन प्रभाग,
राज्य नियोजन संस्थान (नवीन प्रभाग), 30प0.
चतुर्थ तल, योजना भवन, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

पत्रांक: 55/71/7-331/11481/ज0नि0प0/2024 दिनांक: 05 मई, 2026

विषय: आधार कार्ड व्यक्तिगत संबंधों का प्रमाण न होने के सम्बन्ध में।

महोदया/महोदय,

कृपया भारत सरकार, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI), क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के पत्रांक: RO-LKO-16013/04/2020-RO-LKO/Vol-I/1836, दिनांक 27.04.2026 (प्रतिलिपि संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि पूर्व में आधार कार्ड में पिता/पति/अभिभावक आदि का विवरण पते (डेमोग्राफिक विवरण) के रूप में अंकित किया जाता था। तथापि, चूँकि आधार संबंध का प्रमाण-पत्र नहीं है, अतः यू0आ0ई0डी0ए0आई0 प्रधान कार्यालय, नई दिल्ली के पत्रांक F.No. HQ-16024/4/2020-EU-I-HQ-Part (2), अप्रैल, 2025 के माध्यम से मात्र HoF-based enrolment and update "C/o [HoF's name]" के आधार पर ही आधार कार्ड में पिता का नाम सम्मिलित किए जाने की व्यवस्था है जबकि अभ्यायेदनकर्ताओं द्वारा अपने अभ्यायेदन में पिता के जीवित न होने का उल्लेख किया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
Digitally signed by MANOJ KUMAR
Date: 05-05-2026 12:30:11
(डा0 मनोज कुमार)
निदेशक

पत्रांक व दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. उपनिदेशक, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI), क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

Scanned with CamScanner

3. TT&C Division, UIDAI HO – Operators may be trained not to enter "*C/o [name]*" in the address field of Aadhaar during enrolments and updates. Any other relationship specifying prefixes such "S/o", "D/o", "W/o", "H/o" etc must also not be entered in the address field.
4. All UIDAI Regional Offices

Signed by
Himanshu
Date: 09-05-2025 11:08:55